

राजस्थान कर बोर्ड अजमेर

अपील संख्या – 731 / 2011 / सिरोही.

मैसर्स चुहडमल विशनदास एजेन्सीज, आबूरोड.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही

.....प्रत्यर्थी.

अपील संख्या – 1671 / 2011 / सिरोही.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही।

....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स चुहडमल विशनदास एजेन्सीज, आबूरोड.

...प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदनलाल, सदस्य.
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री डी.पी.ओझा,

अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा,

उप-राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18.01.2016

निर्णय

ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें उनके द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा धारा 25, 55, 61 एवं 65 के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 हेतु पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 में आरोपित कर रूपये 98,497/- व आरोपित ब्याज रूपये 29,549/- की पुष्टि करने को चुनौती दी गई है।

विभाग द्वारा भी कास अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.01.2011 में अपास्त की गई शास्ति राशि को निरस्त करने को चुनौती दी गई है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :

कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा फर्म के व्यवसाय सम्बन्धी अभिलेख के परीक्षण से पाया गया कि अपीलार्थी फर्म जो कि ब्राण्डेड वेफर्स की बिक्री का व्यवसाय करती है, के द्वारा वर्ष 2006–07 की अवधि में किये गये विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर बसूल कर जमा करवाया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा विक्रय किया गया माल कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। अपीलार्थी को सुनवाई

लगातार.....2

का अवसर देने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.03.2009 से अपीलार्थी के द्वारा विक्रय किया गया माल 4 प्रतिशत की बजाय 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर रूपये 98,497/-, ब्याज रूपये 29,549/- व शास्ति रूपये 196994/- की मांग सृजित की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई तथापि आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया।

अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है जबकि विभाग ने आरोपित शास्ति को हटाए जाने के विरुद्ध कॉस अपील प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि अपीलार्थी फर्म के द्वारा विक्रय की जाने वाली ब्राण्डेड वेफर्स राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची IV की प्रविष्टि 107 के अन्तर्गत "प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स" की श्रेणी में आती है, न कि अनुसूची V के अन्तर्गत अवशिष्ट श्रेणी में और इस कारण अपीलार्थी द्वारा विनिर्मित पोटेटो चिप्स 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह कथन भी किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में उसके द्वारा विक्रीत पोटेटो चिप्स को प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स की श्रेणी में न मानकर अनुसूची V की श्रेणी में रखने एवं तदानुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानने में विधिक भूल की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया है कि पोटेटो चिप्स को सारी दुनिया में प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स समझा जाता है एवं इसी श्रेणी में रखा जाता है। पोटेटो चिप्स से सम्बन्धित व्यापार एवं उद्योग जगत, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि संगठन एवं इसी प्रकार के अन्य रेग्युलेटर्स, लेजिस्लेटर्स व संगठनों के द्वारा भी पोटेटो चिप्स को प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स की श्रेणी में ही रखा गया है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में बहस के दौरान कतिपय दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य बोलचाल के सिद्धान्त पर विश्वास करने में भूल की गई है तथा अपीलीय अधिकारी ने मस्तिष्क के सम्यक उपयोग के बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा उनके द्वारा दिया गया औचित्य एवं निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में यह भी कहा गया है कि "प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स" का अर्थ सम्बन्धित प्रविष्टि के सन्दर्भ में ही निकाला जाना चाहिए न कि सामान्य बोलचाल के अनुसार। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा 72 एस टी सी 280 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि यदि कोई माल राजकोषीय प्रविष्टि की विषय वस्तु है तो ऐसी प्रविष्टि को सम्बन्धित व्यवसाय के सन्दर्भ में ही समझा जाना चाहिए। 73 एस टी सी 228 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास करते हुए यह कथन किया गया कि सम्बन्धित

लगातार.....3

मंत्रालय व विभागों की राय पर विश्वास किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 5 वीएसटी 529 को उदृत करते हुए यह कथन किया गया कि "includes" का उपयोग शब्द के अर्थ को विस्तार देने के लिये किया जाता है तथा इसे सीमित अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए इस सम्बन्ध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 147 एस टी सी 329 भी उदृत किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1 एस सी सी 532 को उदृत करते हुए यह कथन किया गया कि केवल ऐसे माल को ही अवशिष्ट प्रविष्टि में लिया जाना चाहिए जो कि किसी विशिष्ट प्रविष्टि में नहीं आता हो। 145 एस टी सी 200, पूमा आयुर्वेदिक हर्बल प्रा० लि० बनाम कमिशनर, सेन्ट्रल एक्साईज, नागपुर को उदृत करते हुए यह तर्क दिया गया कि श्रेणीकरण के मामलों में राजस्व का दायित्व होता है, जिसका कि प्रस्तुत मामलों में राजस्व द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा यह कथन भी किया गया कि आंध्रप्रदेश सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा पोटेटो चिप्स को अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में रखा गया है। 85 एस टी सी 23 को उदृत करते हुए यह कथन किया गया कि किसी भी अस्पष्टता (ambiguity) की स्थिति में मामले का निर्धारण व्यवसायी के पक्ष में किया जाना चाहिए। उक्त तर्कों के साथ अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलार्थी के द्वारा विकीत ब्राण्डेड वेफर्स को अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में रखा जावे न कि अधिनियम की अवशिष्ट (residuary) अनुसूची V में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके द्वारा विकीत वस्तु पर उनके द्वारा राज्य के भीतर ही कर चुकाकर उत्पाद खरीद किया है। अतः उनकी फर्म के बजाय राजस्थान के मुख्य विक्रेता के विरुद्ध ही उक्त करारोपण अपेक्षित है।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया गया कि ब्राण्डेड वेफर्स को विशिष्ट रूप से वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में रखा गया है किन्तु इस प्रविष्टि में केवल अनब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को ही शामिल किया गया है, जिसका आशय यह है कि राज्य सरकार ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को इससे पृथक रखना चाहती है। अनुसूची IV में अन्यत्र कहीं भी ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को नहीं रखा गया है, इस कारण यह वेट अधिनियम की अनुसूची V के अन्तर्गत अवशिष्ट (residuary) श्रेणी में ही आती है। विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया कि चूंकि पोटेटो चिप्स को विशिष्ट रूप से वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में शामिल किया गया है, इसलिए इसे अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में शामिल नहीं माना जा सकता। उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे यह भी कहा गया कि आंध्रप्रदेश के वेट अधिनियम की अनुसूची में पोटेटो चिप्स को कहीं भी नहीं रखा गया है, इस कारण आंध्रप्रदेश सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल ने इसे प्रोसेसड वेजिटेबल्स की श्रेणी में रखा है जो कि राजस्थान वेट अधिनियम की प्रविष्टियों के सम्बन्ध में बाध्यकारी नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ब्राण्डेड वेफर्स ब्राण्डेड चिप्स ही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से ऐसा कोई सीधा न्यायिक दृष्टान्त (direct ruling) प्रस्तुत

नहीं किया गया, जिसमें पोटेटो चिप्स को प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स की श्रेणी में माना गया हो। अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से जो भी न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें करारोपण विधान की कर की दर सम्बन्धी प्रविष्टियों के निर्वचन के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। उप-राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के इस तर्क से कि, जहां विधान में किसी वस्तु के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रविष्टि दी गई हो, उस वस्तु को अन्य श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया गया कि चूंकि वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में पोटेटो चिप्स को विशिष्ट रूप से शामिल किया गया है (यह बात अलग है कि इसमें केवल अनब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को शामिल किया गया है और ब्राण्डेड चिप्स को इससे पृथक रखा गया है), इस कारण ब्राण्डेड चिप्स को अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 अथवा किसी अन्य प्रविष्टि में नहीं रखा जा सकता अपितु इसे वेट अधिनियम की अनुसूची V में ही रखा जायेगा एवं यह तदानुसार ही कर योग्य है। उक्त कथन के साथ उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश तथा उपायुक्त (अपील्स) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त तर्कों के साथ प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावें। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा करवंचना हेतु आरोपित शास्ति को समाप्त करने के तथ्य को विधि विरुद्ध बताया उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा अपने विकीर्त माल पर देय कर 12.5 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत कर जमा करवाया है जो कि उनके द्वारा करवंचना के दुराश्य का घोतक है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुनः बहाल किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली, सम्बन्ध अभिलेख एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं तर्कों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया।

उक्त अपील में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी का उत्पाद पोटेटो चिप्स वेट अधिनियम की किस अनुसूची की किस प्रविष्टि में रखा जाने योग्य है तथा किस दर पर कर योग्य है। इस बिन्दु पर विनिश्चय के लिये सम्बन्धित तत्समय विद्यमान प्रविष्टियों को उदृत करना सुसंगत होगा, जो कि अपील से सम्बन्धित कर निर्धारण अवधि के लिये निम्नानुसार है।

वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 :—

"Processed or preserved vegetables and fruits including fruit jem, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drink and fruit juice [sharbat and thandai]"

वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 :—

"Sweatmeat (Deshi) and unbranded Namkeen including dried potato chips"

उपरोक्त प्रविष्टियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रविष्टि संख्या 107 में पोटेटो चिप्स को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि इस प्रविष्टि में शब्द "including" के पश्चात "fruit gem, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drink and fruit juice [sharbat, thandai]" को शामिल किया गया है। यदि विधान निर्माताओं का आशय पोटेटो चिप्स को इस प्रविष्टि में शामिल करने का होता तो उसका उल्लेख भी शब्द "including" के पश्चात इस प्रविष्टि में किया जा सकता था। किन्तु चूंकि ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को इस प्रविष्टि में

लगातार 5

नहीं रखा गया है, इससे यह निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट है कि पोटेटो चिप्स को इस प्रविष्टि में रखने का विधायिका का इरादा नहीं रहा है। इसके विपरीत पोटेटो चिप्स को विशिष्ट रूप से अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में रखा गया है, किन्तु इसे एक विशेषण "unbranded" के साथ अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि विधायिका की मंशा पोटेटो चिप्स को प्रविष्टि संख्या 131 में रखने की है, किन्तु केवल अनब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को ही रखा गया है ब्राण्डेड चिप्स इस प्रकार स्वतः ही उक्त प्रविष्टि से न केवल बाहर हो जाती है बल्कि अनुसूची V में सम्मिलित हो जाती है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि संगठन आदि की वेबसाइट से लिये गये कुछ extracts भी प्रस्तुत किये गये हैं। यह सही है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट से लिये गये extracts में पोटेटो चिप्स को वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग सेक्टर के अन्तर्गत रखा गया है। इसी प्रकार किसी अन्य संगठन के द्वारा भी पोटेटो चिप्स को किसी श्रेणी विशेष में रखा जा सकता है किन्तु यहां पर पोटेटो चिप्स पर करदेयता की दृष्टि से यह किस श्रेणी में आती है, इसका निर्धारण भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट तथा अन्य संस्थाओं की वेबसाइट के extracts के आधार पर नहीं किया जा सकता अपितु इसका विनिश्चय वेट अधिनियम अनुसूची की प्रविष्टियों के आधार पर ही किया जाना युक्तियुक्त, तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है। अतः इस बिन्दु का निर्धारण वेट अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टियों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है।


यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी का विकीर्त उत्पाद पोटेटो चिप्स, branded पोटेटो चिप्स है। जैसा कि ऊपर विवेचन किया जा चुका है वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में पोटेटो चिप्स को शामिल नहीं किया गया है, उक्त अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 131 में अनब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को शामिल किया गया है, जिसका यह आशय है कि प्रथमतः तो विधायिका पोटेटो चिप्स को केवल इसी प्रविष्टि में रखना चाहती है न कि किसी अन्य प्रविष्टि में तथा द्वितीयतः इस प्रविष्टि में केवल अनब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को ही रखना चाहती है न कि ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को, जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि विधायिका द्वारा ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स को वेट अधिनियम की अनुसूची IV से पृथक किया गया है; अन्यथा यदि यह आशय नहीं होता तो अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में शब्द "potato chips" के सम्बन्ध में "unbranded" प्रयुक्त नहीं किया जाता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पोटेटो चिप्स को अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में माने जाने का तात्पर्य है इस पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण। यदि विधायिका की यही मंशा होती तो फिर branded पोटेटो चिप्स को भी प्रविष्टि संख्या 131 में ही रखा जा सकता था अर्थात् प्रविष्टि संख्या 131 में पोटेटो चिप्स के सम्बन्ध में शब्द "unbranded" का उपयोग/उल्लेख नहीं किया जाता। इससे यह स्पष्ट है कि branded पोटेटो चिप्स पर 4 प्रतिशत की दर पर करारोपण की विधायिका की मंशा नहीं रही है। अतः ऊपर किये गये विवेचन के आलोक मे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल अनब्राण्डेड पोटेटो चिप्स पर ही

लगातार.....6

विधायिका की 4 प्रतिशत की दर से करारोपण की मंशा है न कि ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स पर। उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स वेट अधिनियम की अनुसूची V जो कि अवशेष (residual) वस्तुओं से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत ही आती है एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

फलतः उपायुक्त (अपील्स) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में उपायुक्त (अपील्स) के द्वारा कर एवं ब्याज को सही ठहराने के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। आरोपित शास्ति निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये औचित्य, जिनमें समस्त संव्यवहार व्यवहारी द्वारा अपने बहियात एवं विवरणियों में भी दर्शित किये गये हैं तथा माननीय विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में शास्ति के बिन्दु पर भी निर्णय की पुष्टि की जाती है। अतः इस इस सम्बन्ध में राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


18.01.2016

(इश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य


18.01.2016

(मदन लाल)

सदस्य